



2026:AHC-LKO:41853

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4442 वर्ष 2026

आशीष कुमार

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लखनऊ

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : नागेंद्र सिंह, कुलदीप

विपक्षी पक्ष(गण) के लिए अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 13**माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना**

1. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेंद्र सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. आवेदक अभियुक्त-आशीष कुमार द्वारा यह वर्तमान जमानत याचिका, मुकदमा अपराध संख्या 04 वर्ष 2026, बीएनएस की धारा 103(1), 238ए, 317(2), थाना- नग्राम, ज़िला- लखनऊ में विचारण लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।
3. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक को 07.01.2026 की उस एफआईआर में जांच के दौरान झूठा फंसाया गया है, जो सूचना देने वाले पिता द्वारा सरसों के खेत में उनकी बेटी का कंकाल मिलने पर दर्ज कराई गई थी। मृतक के पति और ससुराल वालों के विरुद्ध प्रारंभिक एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में मृतक की बहन के बयान से अभियुक्त-आवेदक का नाम सामने आया। कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) यह भी दर्शाती है कि अभियुक्त-आवेदक और मृतक के बीच लगातार मोबाइल पर बातचीत हुई थी। अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक की शादी पीतांबर से हुई थी। उसके अपनी भाभी के साथ नाजायज़ संबंध थे। मृतक ने इसका विरोध किया, इसलिए परिवार के सदस्यों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला और उसका शव फेंक दिया। आगे यह निवेदन है कि शुरुआत में एफआईआर पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज की गई थी और अभियुक्त-आवेदक को इस मामले में झूठे तौर पर फंसाया गया है। केवल मोबाइल बातचीत के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त-आवेदक ने मृतक की हत्या की है। यह मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। शव परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतक के पूरे शरीर में फ्रैक्चर थे। शव परीक्षण रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जानवरों द्वारा शव को खाया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था। इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 19.01.2026 से जेल में बंद है। वह अभियुक्त-आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अभियुक्त-आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध किया है और कहा है कि जांच के दौरान मृतक की बहन शिव देवी के बयान से अभियुक्त-आवेदक का नाम सामने आया। तत्पश्चात, जांच अधिकारी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए मोबाइल कॉल विवरण का विश्लेषण किया और पाया कि मृतक और अभियुक्त-आवेदक के बीच लगातार मोबाइल पर बातचीत हुई थी। इसलिए, अभियुक्त-आवेदक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप-पत्र दायर किया जा चुका है और जमानत याचिका खारिज होने योग्य है।

5. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।

6. मामले के दस्तावेजों को देखने पर पहली नज़र में यह सामने आता है कि पहले मृतक के पिता ने ही उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने पति और ससुराल वालों पर सीधा आरोप लगाते हुए साफ़ तौर पर कहा था कि मृतक के पति का अपनी साली के साथ अफेयर था। प्रथम दृष्टया शव परीक्षण रिपोर्ट से मृतक के शरीर के विभिन्न अंगों पर चोट के निशान और जानवरों द्वारा कंकाल को खाए जाने की बात सामने आई है। अभियुक्त-आवेदक और मृतक के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत विचारण का विषय है। खुले मैदान से कंकाल बरामद किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 19.01.2026 से जेल में बंद है।

7. अतः, मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानतियों और एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर, आरोपी/आवेदक को उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 एससीसी 674]** और जमानत देने की नीति रणनीति **[(2024) 10 एससीसी 685]** के मामलों में की गई टिप्पणियों के आलोक में है।

9. आवेदक-अभियुक्त निष्पक्ष और त्वरित निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

आरती/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।